

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

पं.स.-..... जिला-.....

क्रमांक.....

दिनांक.....

—कार्यालय आदेश—

स्थानीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिक श्री रूपाराम चौधरी, अध्यापक के दिनांक 20.06.2020 को असामयिक निधन जाने के कारण श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, द्वारा उनके आदेश क्रमांक—जिशिअ/मु0/मा/..../संस्था-3/फा-19/2020 /....., दिनांक—21.07.2020 द्वारा कार्मिक की सेवाएँ समाप्त किये जाने पर, कार्मिक द्वारा उसके सेवाकाल में अर्जित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

कार्मिक का नाम	पद	कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अनुसार अर्जित उपार्जित अवकाश	सेवा समाप्ति तिथि को मूल वेतन	उपार्जित अवकाश नकदीकरण पर देय राशि
श्री रूपाराम चौधरी	अध्यापक			

कार्मिक के उपार्जित अवकाश नकदीकरण की प्रविष्टि कार्मिक की सेवा पुस्तिका में कर दी गयी है।

प्रतिलिपि—

1. श्रीमान उपाकोषाधीकारी उपकोष.....
2. सेवा पंजिका श्री रूपाराम चौधरी, अध्यापक।
3. नामिती सम्बन्धित कार्मिक।
4. श्रीमान सीबीईओ.....।
5. कार्यालय प्रति।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

पं.स.-..... जिला-.....

क्रमांक.....

दिनांक.....

—कार्यालय आदेश—

स्थानीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिक श्री रूपाराम चौधरी, अध्यापक के दिनांक 31.07.2020 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, द्वारा उनके आदेश क्रमांक—जिशिअ/मु0/मा/..../संस्था-3/फा-19/2020/., दिनांक—21.07.2020 द्वारा कार्मिक को सेवानिवृत्त किये जाने पर, कार्मिक द्वारा उसके सेवाकाल में अर्जित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

कार्मिक का नाम	पद	कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अनुसार अर्जित उपार्जित अवकाश	सेवानिवृत्ति तिथि को मूल वेतन	उपार्जित अवकाश नकदीकरण पर देय राशि
श्री रूपाराम चौधरी	अध्यापक			

कार्मिक के उपार्जित अवकाश नकदीकरण की प्रविष्टि कार्मिक की सेवा पुस्तिका में कर दी गयी है।

प्रतिलिपि—

1. श्रीमान उपाकोषाधीकारी उपकोष.....
2. सेवा पंजिका श्री रूपाराम चौधरी, अध्यापक।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. श्रीमान सीबीईओ.....।
5. कार्यालय प्रति।